



कार्यालय-वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 2809 /दिनांक 21

05 जून, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No- FP/UK/126632/2021)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक- 1050/FP/UK/ROAD/126632/2021, दिनांक 17.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 3354/12-1 दिनांक- 30/05/2024 से उक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की है:-

बिन्दु	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
2	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र० 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पीपलसार को बिन्दु संख्या-28 से जोड़ने पर ग्रामवासियों को अपने गांव/तोक तक पहुंचने में 12 किमी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी० + 0.90 मी० अतिरिक्त बाईडिनिंग कुल 6.90 मी० होती है। इसलिए मोटर मार्ग को 6.90 मी० चौड़ाई से कम में प्रस्तावित / निर्माण नहीं कराया जा सकता है। 7.00 मीटर से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 6 मीटर चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना सम्भव नहीं है।
3	ग्राम पष्ठा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्ठा से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण संख्या-2 पर अत्याधिक वन भूमि व वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण समरेखण संख्या-2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण संख्या-1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
5	Details titled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	Para B-1 is removed for online Part-I
8	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	उक्त आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव धोमान)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2809 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धोमान)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
पत्रांक-3354 /12-1, दिनांक, कालसी, 30-5-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।



विषय : जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(Online No. FP/UK/126632/2021)

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी/यूसीपी /06/141/2021/एफ०सी०/1372 दि० 07/01/2022, आपके कार्यालय का पत्रांक-1050/FP/UK/ROAD/126632/2021, दिनांक 17.10.2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक-4408/25सी०, दिनांक 26.11.2022 एवं पत्रांक-1870/26सी०, दिनांक 08.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव सख्या- FP/UK/UK/126632/2021 में भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यूसीपी /06/141/2021/एफ०सी०/1372 दि० 07/01/2022 से लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार किया गया है-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
2	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र० 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पीपलसार को बिन्दु संख्या-28 से जोड़ने पर ग्रामवासियों को अपने गांव/तोक तक पहुंचने में 12 किमी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी० + 0.90 मी० अतिरिक्त बाईडिनिंग कुल 6.90 मी० होती है। इसलिए मोटर मार्ग को 6.90 मी० चौड़ाई से कम में प्रस्तावित/निर्माण नहीं कराया जा सकता है। 7.00 मीटर से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 6 मीटर चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना सम्भव नहीं है।
3	ग्राम पष्ठा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्ठा से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण संख्या-2 पर अत्याधिक वन भूमि व वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण समरेखण संख्या-2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण संख्या-1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
5	Details tilted at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	Now to be Para B-I is removed for online Part-I
8	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	उक्त आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।


Survey284
Raju

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं०
रजिस्टर सं०
दिनांक


अतः अनुरोध है कि भारत सरकार की पत्रांक-8बी/यू.सी.पी.
/06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 के द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण
कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को अपर प्रमुख वन
संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सुन्दिर्भित पत्र के क्रम
में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Phone :-0135-2729863



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

E-mail: ecsdpsd@ddu.gov.in

पत्रांक 1870 /

25 सी०

दिनांक 08/05/2024

सेवा में

प्रमाणीय वनाधिकारी,
कालसी भूमी संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

विषय - जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पप्ता की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला-मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.995 है० वन भूमि का गैर वाणिजी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/126632/2021)


संदर्भ - प्रमाणीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की ऑनलाईन ब्याचरी दिनांक 24/12/2022 एवं पत्रांक सं० 2624/12-1 दिनांक 25/03/2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है।

क्र०स०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	Details filled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	Now to be para B-1 is removed for online Part-1

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-mail:
eeccdpwddd@rediffmail.com

पत्रांक-4408/16/0

दिनांक - 26/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला-मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online no. FP/UK/Road/126632/2021)

- सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ०सी०/1372 दिनांक 07/01/2022
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 1050/FP/UK/Road/126632/2021 दिनांक 17.10.2022
3. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के पत्र सं० 924/12-1 दिनांक 20/10/2022

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

क्र०स०	आपत्तियां	निराकरण
1	(i) प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला साल के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या 1(i) का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।
	(ii) ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र०22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जायें। इससे अधिक चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।	ग्राम पीपलसार को बिन्दु सं० 28 से जोड़ने पर ग्रामवासीयों को अपने गांव/तोक तक पहुंचने में 12 किमी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी० + 0.90 मी० अतिरिक्त बाईडिनिंग कुलर 6.90 मी० होती है। इसलिये मोटर मार्ग को 6.90 मी० चौड़ाई से कम में प्रस्तावित/निर्माण नहीं कराया जा सकता। 7.00 मी० से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिये 6 मी० चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना संभव नहीं है।

(iii)	ग्राम पास्ता से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पास्ता से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण सं० 2 पर अत्याधिक वनभूमि व वृक्षों की सं० अधिक होने के कारण समरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण सं० 1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
(iv)	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के०एम०एमल० फाईल पर अंकित किया जाये।	वर्तमान में ग्रामवासी लांघा-तौली मोटर मार्ग से लगभग 5 किमी० पैदल चलकर आवागमन करते हैं। ग्रामवासियों के आवागमन हेतु केवल यही पैदल मार्ग है। उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से ग्रामवासी अपनी कृषि उपज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से मण्डी व अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते हैं।
2	Details filled at para B-I is not relevant on this proposal and therefore required to be removed.	Now to be Para B-I is removed for online Part I.
3	Blank space plantation scheme of Rs 6,50,000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Now to be uploaded only revised CA in Part I for additional information.
4	Road-side plantation scheme of Rs. 32,86,211/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Now to be uploaded only revised CA estimate in Part I for additional information.
5	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA Stipulated (6678ha) is not commensurate to the forest land diverted the area of forest land diverted and the disparity, if any is required to be clarified suitably.	बिन्दु संख्या 5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 (इ० राजेश कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
 देहरादून।

अलमनरु: - (1) प्रमाण पत्र
 (2) - C A Estimate.

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में ग्रामवासी लांघा-तौली मोटर मार्ग से लगभग 5 किमी० पैदल चलकर आवागमन करते हैं। ग्रामवासियों के आवागमन हेतु केवल यही पैदल मार्ग है। उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से ग्रामवासी अपनी कृषि उपज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से मण्डी एवं अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते हैं।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण सं० 2 पर अत्याधिक वनभूमि व वृक्षों की सं० अधिक होने के कारण समरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण सं० 1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

(प्रपत्र-42)

कार्य का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड से सड़क का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 6.500 किमी0)

प्राक्कलन बाबत ग्राम पष्ठा सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 7.9100 हे0 वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित सड़क मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि
प्रथम चरण					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे0	181	7.91	1431.71
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति हे0	5436	7.91	42998.76
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेसिंग) 1963 रोमी0X(0.6+45)2x1.15=1185.00	प्रतिघ0मी0	435	1185	515475.00
4	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति हे0	1095	7.91	8661.45
5	कन्दूर फरो का कार्य	प्रति रोम0	11.9	800	9520.00
6	गड्ढा खुदान कार्य	प्रति गड्ढा	11.42	15820	180664.40
7	पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्रति पौध	9.75	17402	169669.50
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, सयत्र एवं औजार तेज करना आदि	ल0स0	10000	1	10000.00
9	भूमि संरक्षण कार्य	प्रति हे0	10000	7.91	79100.00
योग प्रथम चरण					1017520.82
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति गड्ढा	2.04	15820	32272.80
2	कन्दूर फरो का बीज बुआई कार्य करना	प्रति रोमी0	3.7	800	2960.00
3	पौध का रखरखाव	प्रति पौध	1.89	15820	29899.80
4	पौधा दुलान कार्य मय 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड 75 प्रतिशत बैग पौध				
	सिरबोझ नंगी जड (10 किमी0)	प्रति/सै0/किमी0	18	4350	7830.00
	खच्चरो द्वारा बैग पौध दुलान (21 किमी0)	प्रति/सै0/किमी0	109	13052	241853.56
5	श्रमिकों द्वारा बैग पौध दुलान (05 किमी0)	प्रति/सै0/किमी0	226	13052	147487.60
	नर्सरी से वनीकरण क्षेत्र तक ट्रक द्वारा दुलान करना				
6	नंगी जड (15 किमी0)	प्रति/सै0/किमी0	13	4350	5655.00
	बैग पौध दुलान (15 किमी0)	प्रति/सै0/किमी0	201	13052	262345.20
6	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	प्रति पौध	3.84	15820	60748.80
7	निराई गुडाई 2 बार	प्रति पौध	3.52	15820	55686.40
8	खाद दवा पर व्यय	प्र0पौ0प्र0सै0	34.5	158.2	5457.90
9	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्रति हे0/9 माह	858.4	7.91	61109.50
10	अन्य व्यय साईन बोर्ड आदि	प्रति हे0	1700	7.91	13447.00
11	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति हे0	684	7.91	5410.44
योग द्वितीय चरण					932164.00
कुल योग (प्रथम व द्वितीय चरण)					1949684.82
तृतीय चरण					
1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति हे0	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मलिंग कार्य	प्रति हे0	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति हे0(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग तृतीय चरण					89682.00

चतुर्थ चरण (तृतीय वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित)

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग चतुर्थ चरण					89682.00

पंचम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग पंचम चरण					89682.00

सष्ठम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग सष्ठम चरण					89682.00

सप्तम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग सप्तम चरण					89682.00

अष्टम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग अष्टम चरण					89682.00

नवम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग नवम चरण					89682.00

दशम चरण

1	ज्वलशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्रति है०	884	7.91	6992.44
2	निराई गुडाई व मल्लिचंग कार्य	प्रति है०	153	7.91	1210.23
3	वनीकरण/क्षेत्र की देखरेख एवं चौकीदारी	प्रति है०(12 माह)	858.4	7.91	81479.33
योग दशम चरण -					89682.00

महायोग - 2667140.82

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी-भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-1050 /FP/UK/ROAD/126632/2021 :देहरादून:दिनांक: 17 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद-देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का EDS दिनांक 07-01-2022 एवं आपकी पत्र संख्या-783/12-1(1) दिनांक 30-09-2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा 08 बिन्दुओं पर सूचना/आख्या चाही गयी थी। उक्त के अनुपालन में आपके द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। आपके द्वारा प्रेषित आख्या भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। अतः निम्न प्रकार पूर्ण आख्या ऑनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

- 1- बिन्दु संख्या-2 एवं 3 के अनुपालन में अपूर्ण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त बिन्दुओं की विस्तृत आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
- 2- बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में वांछित सूचना का पूर्णतः निराकरण नहीं किया गया है। अतः उक्त बिन्दु का पूर्ण निराकरण कर सूचना ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- बिन्दु संख्या-8 का पूर्णतः निराकरण नहीं किया गया है। कृपया भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना के अनुसार प्रश्न का उत्तर प्रेषित करें। अतः उक्त बिन्दु का निराकरण पूछे गये प्रश्न के अनुरूप नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित बिन्दुओं का पूर्णतः निराकरण कर अपनी पूर्ण संस्तुति के उपरान्त ही इस कार्यालय को ऑनलाईन अपलोड कर हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथापरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1050 /FP/UK/Others/44884/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को भारत सरकार उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की वांछित सूचना का पूर्ण निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

0/

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।